अध्याय–7
खनन प्राप्तियाँ

(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय–7: खनन प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0 वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। जनपद स्तर पर जिला खान अधिकारी देय एवं भुगतान योग्य रायल्टी, भाटक, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

7.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कुल 75 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 20[1] इकाइयों (27 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 1,222.17 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया गया था, जिसमें से लेखापरीक्षा में आच्छादित इकाइयों द्वारा ₹ 605.50 करोड़ (50 प्रतिशत) का संग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियों के कारण ₹ 496.11 करोड की धनराशि की अनियमितताओं के 108 प्रस्तर प्रकाश में आये, जैसा **सारणी–7.1** में वर्णित है।

सारणी–7.1

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1	रायल्टी न/कम वसूल किया जाना	17	7.40	1.49
2	ब्याज/अर्थदण्ड का अनारोपण	17	20.75	4.18
3	खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना	39	444.65	89.63
4	अन्य अनियमिततायें	35	23.31	4.70
योग		**108**	**496.11**	

(**स्रोत:** लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

इस अध्याय में ₹ 307.95 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 2,671 मामलों को निदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमितताएं विगत पाँच वर्षों से लगातार प्रतिवेदित हो रही हैं जैसा **सारणी–7.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

सारणी–7.2

(₹ करोड़ में)

	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	
प्रेक्षण का नाम	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**
खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना	––	––	15	0.37	221	13.92	311	13.98	3,491	476.06	4,038	504.33
पर्यावरण मंजूरी (प0मं0) के बिना खनिजों का उत्खनन	––	––	––	––	––	––	––	––	4	66.90	4	66.90
पर्यावरण मंजूरी के बिना ईंट मिट्टी का उत्खनन	––	––	––	––	––	––	––	––	2,909	66.80	2,909	66.80

[1] निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा जिला खान कार्यालय : इलाहाबाद, बदायूँ, बागपत, बाँदा, जी0बी0नगर, झांसी, हाथरस, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सोनभद्र और उन्नाव।

(₹ करोड़ में)

	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	
प्रेक्षण का नाम	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**	**मामले**	**धनराशि**
ईंट भट्ठा स्वामियों से रायल्टी एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली न किया जाना	3,684	15.15	1,655	10.22	412	3.87	1,430	6.84	39	0.25	7,220	36.33
बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन	2	0.13	9	18.82	123	198.93	7	3.08	73	252.95	214	473.91
अधिक उत्खनन	22	77.87	4	7.08	18	46.81	––	––	12	29.27	56	161.03

संस्तुतियाँ:

1. **विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा बार–बार प्रतिवेदित कमियों को पुनः न दोहराया जाय।**
2. **विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अधिक धनराशि के न/कम वसूली किये गये मामलों में वसूली सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण के लिए अधिक प्रभावी उपायों को आरम्भ करना चाहिए।**

7.3 खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया

विभाग ने एम0एम0–11 प्रस्तुत नहीं करने के लिये सिविल कार्य करने वाले 1,181 ठेकेदारों से खनिज मूल्य की धनराशि ₹ 191.02 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.95 करोड़ वसूल नहीं किया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 अनुबन्धित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परिवहन पास (एम0एम0–11[2]) के किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा0एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम अनुबन्धित करता है कि वैध प्राधिकार के बिना उपखनिजों के उठान पर रायल्टी के साथ खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में यह दोहराया गया था, कि यदि ठेकेदार रायल्टी रसीद को प्रपत्र एम0एम0–11 में प्रस्तुत नहीं करता है तो रायल्टी के अलावा, खनिज का मूल्य (सामान्यतया रायल्टी का पाँच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी और राजकोष में जमा किया जायेगा। अग्रेतर, उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए प्रावधानित करता है जिसमें छः माह तक का कारावास या ₹ 25,000 तक की शास्ति अथवा दोनों आकृष्ट होते हैं।

वर्ष 2012–13 से 2015–16 के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 4,038 ठेकेदारों से खनिज मूल्य ₹ 504.33 करोड़ की वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व की सतत् हानि उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 15[3] जिला खान कार्यालयों (जि0खा0का0) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। यह देखा गया कि अप्रैल 2014 से फरवरी 2017 के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों से 1,181 निर्माण कार्य कराये गये। इन समस्त प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्यदायी संस्थाओं ने बिलों से रायल्टी ₹ 38.20 करोड़ की कटौती की और धनराशि को कोषागार में जमा किया। तथापि, सम्बन्धित जि0खा0का0 प्रकरण में कोई

---

[2] खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास (रवन्ना)। इसमें पट्टे धारक का नाम और पता, उपखनिज की प्रकृति एवं मात्रा तथा इसे परिवहन किये जाने वाले वाहन का पंजीयन संख्या अंकित होता है।

[3] जि0खा0का0 : इलाहाबाद, बदायूँ, बागपत, बाँदा, जी0बी0नगर, हाथरस, कौशाम्बी, महोबा, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सोनभद्र और उन्नाव।

कार्यवाही प्रारम्भ करने तथा खनिज मूल्य ₹ 191.20 करोड़ की वसूली करने एवं शास्ति ₹ 2.95 करोड़ के आरोपण में विफल रहे।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित जिला अधिकारियों के माध्यम से ठेकेदारों से वसूली की जानी है।

संस्तुतिः

ठेकेदारों द्वारा प्रपत्र एम0एम0–11 का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने हेतु खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

7.4 पर्यावरण मंजूरी का क्रियान्वयन

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम अनुबन्धित करता है कि खनन संक्रियाएँ इस अधिनियम व इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार की जायेगी। यह अग्रेतर अनुबन्धित करता है कि यदि कोई व्यक्ति वैध प्राधिकार के बिना किसी खनिज को किसी भूमि से उठाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को वापस प्राप्त कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज को पूर्व में ही निस्तारित कर दिया गया हो, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकती है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अन्तर्गत कुल रायल्टी, खनिजों के खनिमुख मूल्य[4] के 20 प्रतिशत की दर से अनधिक निर्धारित की गयी है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (प0सं0अ0), 1986 अनुबन्धित करता है कि जो भी इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक विफलता के लिये कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या शास्ति, जो एक लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

7.4.1 पर्यावरण मंजूरी (प0मं0) के बिना खनिजों का उत्खनन

बिना प0मं0 के 4.31 लाख घनमीटर उपखनिजों के उत्खनन पर चार पट्टाधारकों से खनिज मूल्य ₹ 33.75 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया गया (मई 2011 एवं मार्च 2012) कि खनन पट्टाधारक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प0 एवं व0मं0) से प0मं0 प्राप्त करेंगे। यदि कोई पट्टाधारक[5] प0मं0 के बिना खनिजों का उत्खनन करता है तो यह अवैध खनन माना जायेगा तथा अधिनियम के अन्तर्गत वह रायल्टी, खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड का दायी होगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 में चार प्रकरणों में बिना पर्यावरण मंजूरी के खनिजों के उत्खनन पर शासकीय राजस्व की सतत् हानि ₹ 66.90 करोड़ उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान दो[6] जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी और नमूना जाँच किये गये 61 में से चार प्रकरणों में देखा कि पट्टाधारकों द्वारा जनवरी 2016 और मार्च 2017 के मध्य 4.31 लाख घनमीटर खनिजों (मोरम एवं गिट्टी) का उत्खनन बिना प0मं0 प्राप्त किये किया गया एवं ₹ 6.75 करोड़ रायल्टी का भुगतान किया गया। बिना प0मं0 के खनिजों का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। सम्बन्धित जि0खा0का0

---

[4] "खनिमुख मूल्य" का अर्थ है "गड्ढे के मुखारबिन्दु पर या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिजों का विक्रय मूल्य"।

[5] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार और पट्टे में निर्दिष्ट क्षेत्रों में खनन संक्रियायें करने के लिए अधिकृत व्यक्ति।

[6] जि0खा0का0 : बाँदा और सोनभद्र।

द्वारा न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी और न ही खनिज मूल्य (देय रायल्टी का पाँच गुना) ₹ 33.75 करोड़ की वसूली की गयी। अग्रेत्तर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर प्रत्येक पट्टाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने बताया कि धारा 21(5) अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन पर लागू होता है। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम में प0 मं0 के बिना खनिजों के उत्खनन पर खनिज मूल्य की वसूली का प्रावधान नहीं है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कोई भी खनन पट्टा प्रदान करने के लिए प0मं0 प्राप्त करना प0सं0अ0 द्वारा लगायी गयी एक आवश्यक शर्त है। अग्रेत्तर, खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 4 के अनुसार इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार खनन संक्रियाएं की जायेंगी। इस प्रकार बिना प0मं0 के उत्खनन अवैध और अनधिकृत है जो खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम का उल्लंघन है। अनधिकृत उत्खनन खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकृष्ट करता है।

संस्तुतिः

विभाग को अवैध खनन को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक पर्यावरण मंजूरी के बिना खनिजों का उत्खनन न किया जाए।

7.4.2 पर्यावरण मंजूरी के बिना ईंट मिट्टी का उत्खनन

बिना प0मं0 के संचालित 1,131 ईंट भट्टों से खनिज मूल्य के बराबर शास्ति की धनराशि ₹ 62.27 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

प0 एवं व0 मं0 ने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जून 2013 द्वारा ईंट मिट्टी के खनन को बी–2 श्रेणी[7] में श्रेणीबद्ध किया गया था, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (रा0प0प्र0मू0प्रा0) से प0मं0 प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 2,909 ईंट भट्टों द्वारा बिना प0मं0 के ईंट मिट्टी के उत्खनन के कारण शासन को धनराशि ₹ 66.80 करोड़ की राजस्व क्षति उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन (जुलाई 2016) के मूल्यांकन के लिये लेखापरीक्षा ने 2016–17 के दौरान छः[8] जि0खा0का के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि नमूना जाँच किये गये 1,207 में से 1,131 ईंट भट्टों ने प0मं0 प्राप्त किये बिना वर्ष 2014–15 से 2015–16 के दौरान ईंट भट्टों का संचालन किया और रायल्टी ₹ 12.45 करोड़ का भुगतान किया। बिना प0मं0 के ईंट मिट्टी का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता था। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने न तो व्यापार को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की और न ही खनिज मूल्य के बराबर शास्ति धनराशि ₹ 62.27 करोड़ वसूल किये। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर प्रत्येक भट्टा मालिक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी नहीं आरोपित किया गया।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने बताया कि वर्तमान में, राज्य में अधिकांश ईंट भट्टों द्वारा प0मं0 प्राप्त कर ली गयी है। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम, 1957 में बिना प0मं0 के ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिये खनिज मूल्य की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ईंट भट्टों के संचालन

---

[7] पाँच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल तक 'ईट मिट्टी' और 'साधारण मिट्टी' की खुदाई की गतिविधियों को संभावित प्रभावों की स्थानीय सीमा और मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों के आधार पर बी–2 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया।

[8] जि0खा0काः बदायूँ, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर।

के लिये प0मं0 एक आवश्यक शर्त है। बिना प0मं0 के कोई उत्खनन अवैध और अनधिकृत उत्खनन है तथा खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन है। अनधिकृत उत्खनन खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकृष्ट करता है।

संस्तुतिः

विभाग को खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना चाहिए तथा बिना पर्यावरण मंजूरी के ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिये शास्ति की वसूली करनी चाहिये।

7.5 ईंट भट्टा स्वामियों से रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क वसूल नहीं किया गया

353 ईंट भट्टा स्वामियों द्वारा रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क का भुगतान राजकोष में नहीं किया गया था, यद्यपि यह ए0मु0स0 योजना में निर्दिष्ट था। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 6.28 करोड़, ब्याज ₹ 31.08 लाख तथा अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 7.06 लाख वसूल नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित ईंट भट्टों के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ए0मु0स0यो0), अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क के साथ निर्धारित दरों पर रायल्टी की समेकित धनराशि के भुगतान के लिये प्रावधानित करती है। इसके अतिरिक्त, ए0मु0स0यो0 रायल्टी, शुल्क या शासन को देय अन्य धनराशि के बिलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रभारण भी प्रावधानित करती है। वर्ष 2015–16 के ए0मु0स0यो0 में ईंट बनाने में प्रयुक्त होने वाली पलोथन[9] मिट्टी के लिये रायल्टी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आरोपित किया जाना था।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 7,220 ईंट भट्टों से रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क वसूल न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व धनराशि ₹ 36.33 करोड़ की सतत् हानि उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिये गये आश्वासनों (जुलाई 2016) का मूल्यांकन करने हेतु, लेखापरीक्षा ने 2016–17 के दौरान पाँच[10] जि0खा0का के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि नमूना जाँच किये गये 1,140 में से 353 ईंट भट्टों ने ईंट भट्टा वर्ष[11] 2013–14 से 2015–16 के लिये कोई रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। 31 मार्च 2017 को आगणित विलम्ब 912 से 1,277 दिनों के मध्य था। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने न तो व्यवसाय को रोकने की कार्यवाही शुरू की और न ही देय रायल्टी ₹ 6.28 करोड़, ब्याज ₹ 31.08 लाख और अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 7.06 लाख की वसूली के लिये कोई प्रयास किया।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित ईंट भट्टा स्वामियों से वसूली करने के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में सभी ईंट भट्टा स्वामी प्रवृत वर्ष में लागू ए0मु0स0यो0 के प्रावधानों का पालन करें। ईंट भट्टा स्वामियों से बकाया रायल्टी वसूल किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

---

[9] बलुई मिट्टी।

[10] जि0खा0का0 : बागपत, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर और उन्नाव।

[11] अक्टूबर से सितम्बर।

7.6 अनधिकृत उत्खनन

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 अनुबन्धित करता है कि खनन संक्रियायें, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना, के अनुसार की जायेंगी।

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम अनुबन्धित करता है कि यदि कोई व्यक्ति वैध प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से उठाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को वापस प्राप्त कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज को पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका हो, रायल्टी के साथ उसका मूल्य वसूल कर सकती है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अन्तर्गत कुल रायल्टी, खनिजों के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से अनधिक निर्धारित की गयी है।

7.6.1 बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन

पट्टाधारक ने अनुमोदित खनन योजना के बिना 2.06 लाख घनमीटर बालू/मोरम का उत्खनन किया था जिसके लिये उससे ₹ 7.71 करोड़ वसूल किया जाना था।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 214 पट्टाधारकों से अनुमोदित खनन योजना[12] के बिना खनिजों के उत्खनन के लिये खनिज मूल्य की वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व धनराशि ₹ 473.91 करोड़ की सतत् हानि उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा ने 2016–17 के दौरान जि0खा0का0 बाँदा के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि परीक्षण किये गये पाँच प्रकरणों में से एक में, पट्टाधारक ने दिसम्बर 2013 से जून 2014 की अवधि के दौरान बिना अनुमोदित खनन योजना के 2.06 लाख घनमीटर बालू/मोरम का उत्खनन किया था। इस अवधि के दौरान पट्टाधारक ने रायल्टी के रूप में ₹ 1.54 करोड़ का भुगतान किया। पट्टाधारक द्वारा उत्खनित खनिज अनधिकृत था, और इसलिये रायल्टी के मूल्य के पाँच गुणा के बराबर उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 7.71 करोड़, उससे वसूलनीय था। क्रमिक खनन आँकड़े होने के बावजूद जि0खा0अ0 ने पट्टाधारक को एम0एम0–11 प्रपत्र आपूर्ति करके उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपखनिज के अनधिकृत उत्खनन की अनुमति प्रदान की।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने बताया कि यह मामला अवैध खनन का नहीं हैं क्योंकि पट्टाधारक वैध परमिट धारक था एवं वैध प्राधिकार के साथ खनिजों का उत्खनन कर रहा था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी पट्टे में अनुमोदित खनन योजना एक आवश्यक शर्त है। अनुमोदित खनन योजना के बिना कोई उत्खनन अवैध और अनधिकृत उत्खनन है तथा खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन है। अनधिकृत उत्खनन खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकृष्ट करता है।

7.6.2 अतिरिक्त उत्खनन

पट्टाधारक ने अनुमोदित खनन योजना से अधिक 44,928 घनमीटर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर का उत्खनन किया जिसके लिये उससे ₹ 3.59 करोड़ वसूल किया जाना था।

वर्ष 2011–12 से 2013–14 और 2015–16 के विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 56 पट्टाधारकों से अनुमोदित खनन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक खनिजों के

[12] उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) के अधीन वार्षिक विकास योजनाओं के विवरण युक्त खनन संक्रियाओं के संचालन के लिये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से यथोचित अनुमोदित एक योजना।

उत्खनन के लिये खनिज मूल्य की वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व धनराशि ₹ 161.03 करोड़ की सतत् हानि उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये लेखापरीक्षा ने 2016–17 के दौरान जि0खा0का0 महोबा के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि नमूना जाँच किये गये 25 प्रकरणों में से एक में, पट्टाधारक ने अगस्त 2016 से फरवरी 2017 की अवधि के दौरान अनुमोदित खनन योजना में अनुमन्य मात्रा से अधिक 44,928 घनमीटर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर का उत्खनन किया और उत्खनित सामग्री की रायल्टी ₹ 71.88 लाख का भुगतान किया। पट्टाधारक द्वारा उत्खनित खनिज अनधिकृत था, और इसलिये उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 3.59 करोड, जो रायल्टी के मूल्य के पाँच गुणा के बराबर था, पट्टाधारक से वसूलनीय था। क्रमिक खनन आँकड़े होने के बावजूद जि0खा0अ0 ने पट्टाधारक को एम0एम0–11 प्रपत्र आपूर्ति करके उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपखनिज के अनधिकृत उत्खनन की अनुमति प्रदान की।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने बताया कि यह दृष्टांत अवैध खनन का मामला नहीं हैं क्योंकि पट्टाधारक वैध परमिट धारक था एवं वैध प्राधिकार के साथ खनिजों का उत्खनन कर रहा था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से अधिक खनन संक्रिया अवैध और अनधिकृत उत्खनन है और खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन है। अनधिकृत उत्खनन खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकृष्ट करता है।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदित खनन योजना में अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन न किया जाए।

लखनऊ

दिनांक 11 जनवरी 2019

(सौरभ नारायन)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक 18 January, 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक